न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 60/2019 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

विरधा बनाम खेताराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी —श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

प्राथी वकील — श्री उमेदसिंह

विप्रार्थीगण वकील — एकतरफा

निर्णय दिनांक — 10.02.2020

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि सरहद मौजा प्रभात नगर, पटवार क्षेत्र सारला, तहसील सेड़वा में खेत खसरा सं. 523 रकबा 00.07 बीघा, खसरा सं. 743/524 रकबा 77.14 बीघा स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आवेदन में वर्णित खसरों की पैमाईश रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को लिखा गया। तहसीलदार से पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त, शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा प्रभात नगर, पटवार क्षेत्र सारला, तहसील सेड़वा में खेत खसरा सं. 523 रकबा 00.07 बीघा, खसरा सं. 743/524 रकबा 77.14 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को रूपये 500/— फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरमाराम)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थी :-
1.विरधा पुत्र सालू
जाति जाट, निवासी प्रभात नगर
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-
1.खेताराम पुत्र हेमाराम 2.हिमथाराम 3.भोजाराम पि. कुंभाराम 4.गुणेशाराम पुत्र सिमरथाराम 5.गोमाराम पुत्र सालगाराम 6.कुंभाराम पुत्र सिमरथाराम 7.भीखाराम पुत्र सालगाराम 8.रामाराम 9.शेराराम पि. सिमरथाराम 10.बांकाराम पुत्र मानाराम 11.आसूराम 12.नीम्बाराम 13.विशनाराम पि.हरजी 14.मानीदेवी पत्नि हरजी 15.रामाराम पुत्र राजूराम 16.भगाराम पुत्र भेराराम 17.भूराराम पुत्र लाखाराम 18.आसूराम 19.गोपाराम पि. खेताराम 20.तुलसीदेवी पत्नि खेताराम 21.जेठाराम पुत्र खेताराम , जातियान जाट, निवासी प्रभात नगर (सारला), तहसील सेड़वा
22.ग्राम पंचायत सारला जरिये सरपंच

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 60/2019 दिनांक : 10.02.2020

आदेश

तहसीलदार सेडवा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेडवा, पटवार क्षेत्र सारला, के मौजा प्रभात नगर के खेत खसरा सं. 523 रकबा 00.07 बीघा, खसरा सं. 743/524 रकबा 77.14 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेडवा को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमी की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नही किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

(वीरमाराम)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2020/ 84-87 दिनांक 10/02/20

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार सेडवा
2. प्रार्थी विरधा
3. विप्रार्थीगण खेताराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चोहटन/बीजराड़/सेड़वा/धौरीमन्ना/बाखासर

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2020.02.24 20:32:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: